

फर्द अहकाम

बाबूलाल

बनाम

मुरलीधर वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 32 / 2020 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर टी ए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6.7.2020	<p>प्रार्थीगण की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री दीपक शर्मा एडवोकेट ने मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.7.2020 को पेश हों।</p>	
17/7/20	<p>वकील शर्मा उपाय मजिस्ट्रेट को तलबी लोचक प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 22/7/20 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर</p>
22/7/20	<p>वकील शर्मा उपाय वकील शर्मा को तलबी हेतु तलफा पाया। न्याय स्थिति में इस सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 30/7/20 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर</p>
30/7/20	<p>प्रार्थना पत्रावली पेश की गई। प्रार्थना पत्र के तलबी को तलफा पाया। न्याय स्थिति में इस सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 30/7/20 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>